राजस्व वाद संख्याः– 135 / 2022
धर्मपाल बनाम कृष्ण कुमार वगै0
निर्णय दिनांकः– 23.04.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, **(आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद सं.– 135 / 2022

धर्मपाल पुत्र मालाराम जाति कुम्हार निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झनू राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र निहालाराम जाति मेघवाल निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झनू राजस्थान।
2. बनवारी पुत्र ईसर राम जाति मेघवाल निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झनू राजस्थान।
3. राजपाल पुत्र ईसर राम जाति मेघवाल निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झनू राजस्थान।
4. संतोष पत्नि बनवारी लाल जाति मेघवाल निवासी छापड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झनू राजस्थान।
5. धर्मपाल पूत्र सिल्लू राम जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. विजेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. सुरेन्द्र पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बनगोठडी जरिये शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बनगोठडी तहसील सूरजगढ ि़जिला झुन्झुनू राजस्थान।?
9. स्टेट बैंक आर्फ इण्डिया शाखा पिलानी जरिये शाखा प्रबन्धकर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिलानी जरिये शाखा प्रबन्धका स्टेट पंजाब नेशनल बैंक शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राजस्थान।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) की उप धारा (1)
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनयम</u>

—:: निर्णय ::—

दिनांक —23.04.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि—

यह कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 38 ग्राम छापड़ा के दक्षिणी पश्चिमी कोने से भुमि खसरा नम्बर 32 व 33 की सीमा सीमा होतु हुये ग्राम छापड़ा से रामपुरा जाने वाले कटानी आम रास्ते तक एक रास्ता जिसे नजरी नक्से में लाल स्याही से बिन्दू ए से बी दर्शाया गया है को 4 मीटर चोड़ा रास्ता घोषित किया जाना फरमाया जावे तथा रास्ते में जाने वाली भुमि को रहन मुक्त घोषित फरमाया जावे व तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तामील जरिये सम्मन जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 की और से श्री भारत भूषण एड0 ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 05 लगायत 11 की और से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। वकील अवेदकगण एवं अनावेदकगण 1 लगायत 4 ने उपस्थित हो कर तहसीलदार पिलानी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 के अनुसार पक्षकारान ने राजस्व रिकार्ड में रास्ते की तरमीम करने के लिए अनापत्ति जाहिर की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074—77, नक्शा ट्रेस, तहसीलदार पिलानी की मौका रिपोर्ट।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। तहसीलदार पिलानी की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2023/भु.अ./94 दिनांक 09.02.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें बताया गया

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

की ग्राम छापड़ा के भूमि ख.न. 33 रकबा 1.32 है0 तथा ख.न. 37 रकबा 1.0 है0 की खातेदारी सम्वत 2074–77 के अनुसार कृष्ण कुमार पुत्र निहालाराम हि. 1/2 जाति मेघवाल राहिन BRKGB बनगोढडी कलां बनवारी पुत्र ईसरराम हि. 1/4 जाति मेघवाल राजपाल पुत्र ईसरराम हि. 1/6 जाति मेघवाल राहिन PNB शाखा पिलानी, संतोष पत्नी बनवारीलाल हि.1/12 जाति मेघवाल राहिन BRKGB बनगोठड़ी कलां के नाम दर्ज है। तथा ख.न. 38 रकबा 3.48 है0 की खातेदारी धर्मपाल पुत्र मालाराम हि. 1/4 जाति कुम्हार सा. देह राहिन BRKGB बनगोठड़ी कलां धर्मपाल पुत्र सिलूराम हि 1/2, विजेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल हि. 1/8 सुरेन्द्र सिंह पुत्र धर्मपाल हि. 1/8 जाति जाट सा. सरदारपुरा के नाम दर्ज है। मौका व रिकॉर्ड के अनुसार ख. न. 38 में से पहुंचने हेतु न्यूनतम दूरी ख.न. 33 के उत्तर दिशा के सहारे सहारे तथा ख.न. 37 के उत्तरी पश्चिमी कोने के सहारे सहारे नजरी नक्शा अनुसार दिया जाना उचित है। इसके अलावा अन्य कोई सुविधा जनक मार्ग उपलब्ध नहीं है।

प्रस्तावित रास्ते को बिन्दु संख्या A से B तक तथा B से C तक लाल स्याही से दर्शाया गया है। जो ख.न. 33 में 160 X 4 = 640 वर्ग मीटर भूमि तथा ख.न. 37 में 20 X4=80 वर्गमीटर कम होगी। कुल भूमि क्षैत्रफल 720 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ते के लिये प्रस्तावित कुल भूमि का क्षैत्रफल 720 वर्गमीटर कम होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार पिलानी की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2024 के साथ पेश नजरी नक्शा में दर्शित ख0 न0 33 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे तथा ख.न. 37 के उत्तरी पश्चिमी कोने के सहारे–सहारे नजरी नक्शे के अनुसार ख.न. 33 में 160 X 4 = 640 वर्ग मीटर भूमि तथा ख.न. 37 में 20 X4=80 वर्गमीटर में नया रास्ता कुल भूमि क्षैत्रफल 720 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः— 135 / 2022
धर्मपाल बनाम कृष्ण कुमार वगै0
निर्णय दिनांकः— 23.04.2024

—:: आदेश::—

भूमि खेत खसरा न0 38 रकबा 3.48 है0 वाके मौजा छापड़ा तहसील सूरजगढ में चाहे गये रास्ते के लिए तहसीलदार पिलानी की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 के अनुसार ख0 न0 33 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे तथा ख.न. 37 के उत्तरी पश्चिमी कोने के सहारे—सहारे नजरी नक्शे के अनुसार ख.न. 33 में 160 X 4 = 640 वर्ग मीटर भूमि तथा ख.न. 37 में 20 X4=80 वर्गमीटर में नया रास्ता कुल भूमि क्षेत्रफल 720 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार पिलानी को निर्देशित किया जाता है की वह रास्ते में जाने वाली भूमि की निर्धारित डीएलसी दर से दुगुनी राशि आवेदक से जमा कर सम्बन्धित खातेदार को दी जावें। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करें। तहसीलदार पिलानी की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़